निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 66/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. गोविन्दा पुत्र बरदा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
2. गोपाल पुत्र गोविन्दा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय पीठासीन अधिकारी श्री घनश्याम शर्मा आर ए एस
2. भंवर लाल पुत्र स्व॰ नानगराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
3. कौशल्या देवी पत्नी स्व॰ श्री प्रभू नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
4. कन्हैया लाल पुत्र स्व॰ श्री प्रभू नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राजीव पुत्र स्व॰ श्री प्रभू नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. राकेश पुत्र स्व॰ श्री प्रभू नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. रेखा पुत्री स्व॰ श्री प्रभू नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. पूजी पुत्री स्व॰ श्री प्रभू नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. बाबूलाल पुत्र पुत्र स्व॰ श्री नानगराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व॰ रामनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
11. घनश्याम पुत्र स्व॰ श्री रामनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
12. ताराचन्द पुत्र स्व॰ श्री रामनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
13. रेखा पुत्री स्व॰ श्री रामनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
14. श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व॰ श्री रामनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

जिला कलक्टर जयपुर

15. गुनगुन उर्फ भाविका पुत्री स्व॰ श्री गिरधारी पोत्री स्व॰ श्री रामनारायण नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व॰ श्री गिरधारी जातियान हरियाणा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम चैनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

कन्टेस्टिंग अप्रार्थीगण

16. जमन्या पुत्र बिरदा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
17. गंगा सहाय पुत्र स्व॰ श्री रामकिशन जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
18. महेन्द्र उर्फ लक्की पुत्र स्व॰ श्री लादूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
19. राजेन्द्र उर्फ बाबू पुत्र स्व॰ श्री लादूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
20. मन्जू देवी पंत्नी स्व॰ श्री लादूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
21. अभिलाषा पुत्री स्व॰ श्री लादूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
22. पूजा पुत्री स्व॰ श्री लादूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
23. मंगली पुत्री मूल्या पुत्री पत्नी श्री रामेश्वर जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
24. अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति लि॰ जरिये सचिव पता 25, बाबा नारायणदास नगर, लाल कोठी, जयपुर।
25. अशोक अग्रवाल पुत्र स्व॰ श्री सूरजमल अग्रवाल निवासी 25, बाबा नारायणदास नगर, लाल कोठी, जयपुर ।
26. ज्ञान चन्द अग्रवाल पुत्र स्व॰ श्री सूरज मल अग्रवाल निवासी 25, बाबा नारायण दास नगर, लाल कोठी, जयपुर।
27. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जे॰एन॰एल॰ मार्ग जयपुर ।
28. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।
29. उप पंजीयक प्रथम, सांगानेर जिला जयपुर।

... प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 114/2013 व टी आई संख्या 95/2013 ब उनवानी रामनारायण व अन्य बनाम जमन्या व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी संख्या 2 उपस्थित है।
2. श्री हुकम चन्द पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 6, 9 व 12 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 24.11.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 114/2013 व टी आई संख्या 95/2013 व उनवानी रामनारायण व अन्य बनाम जमन्या व अन्य विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीगण ने तहसीलदार सांगानेर से साज कर नानगराम की खातेदारी का अंकन विधि विरूद्व हटवा दिया। जिस पर प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जब्ता दीवानी के तहत पेश कर कानूनी आपत्तियां पेश की तथा वाद का वार्डबाय लॉ एवं प्राडन्याय (रेसज्यूडिकेटा) के विरूद्व होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया ।जिस पर दोनों पक्षों को सुन कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा॰ दीवानी को बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये खारिज कर दिया। जिस पर प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण को तनकीयात कायम कर निस्तारण करने का आदेश दिया, किन्तु प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रकरण में केवल विधिक तनकीयात बनाई जा कर 6 माह में नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में इन्ट्रेस्टेड पर्सन है, क्योंकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 18 के द्वारा कूट रचित वसीयत दिनांक 11.12.1983 है, जो कि 29 साल बाद साक्ष्य कियट करने की गरज से उप रजिस्ट्रार सांगानेर प्रथम के समक्ष रजिस्टर्ड कराई गई थी। तत्समय उप पंजियक सांगानेर प्रथम के पद पर अप्रार्थी संख्या 1 पदासीन थे और इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट भी थाना जवाहर सर्किल व थाना सांगानेर में दर्ज कराई जिसमें आज भी अनुसंधान जारी है। इस कारण प्रार्थी को युक्ति युक्त पूर्ण अंदेशा है कि अप्रार्थी सख्या 1 के समक्ष प्रार्थी को कोई न्याय प्राप्त नही होगा और प्राथीगण को अप्रार्थी सख्या 1 से न्याय की कोई उम्मीद नही है। क्योंकि उपरोक्त वर्णित एफ आई आर की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी से द्वेष रखते है और इसी कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने कन्टेस्टिंग शेष अप्रार्थीगण से मिल कर प्रार्थी को जान बूझ कर नुकसान पहुंचाने की गरज से वाद की सुनवाई की जा रही है, जो कि पूर्णतया बायस्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थीगण के प्रति बायस्ड होने का अनुमान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2020 के अवलोकन से ही स्पष्ट होता है। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी पी सी वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो कि कोरोना महामारी के संकमणकाल में निर्णित किया गया और जल्दबाजी में पारित

जिला कलक्टर
जयपुर

किया गया आदेश है। आदेश दिनांक 24.07.2020 में वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे केवल अप्रार्थी संख्या 9 श्रीमती पुष्पा देवी को हजफ करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था और यह भी अंकित किया गया था कि अप्रार्थी संख्या 9 का जो भी हक हिस्सा है वह अप्रार्थी संख्या 10 गुनगुन में निहित हो गया है। लेकिन सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 5 जानकी देवी को डिलिट करने की कोई प्रार्थना वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा नही की गई इसके बावजूद प्रार्थना पत्र बहस को व रिकार्ड का अवलोकन किये बगैर मेकेनिकली आदेश दिनांक 24.07.2020 पारित कर दिया गया और अप्रार्थी गुनगुन व अप्रार्थी जानकी देवी को डिलिट कर दिया गया जो कि आदेश दिनांक 24.07.2020 अप्रार्थी संख्या 1 का मनमाना व कानून के विपरीत आदेश है। कानूनन और इंसाफन व नियामानुसार प्रत्येक अनुतोष हेतु अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने आदेश 22 नियम 3, आदेश 6 नियम 17, आदेश 1 नियम 10(2)के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में महती कानूनी भूल की है। जबकि सीपीसी के उक्त प्रावधानों के लिए अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने थे लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई गौर नहीं किया और आदेश पारित कर दिया जिससे प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में प्रश्नागत व विवादित दस्तावेजो से पूर्णतया संबद्व व्यक्ति है और अप्रार्थी संख्या 1 का प्रकरण मे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से हितबद्व होना परिलक्षित होता है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष न्याय प्राप्ति हेतु न्याय हित मे वाद की सुनवाई करवाना नहीं चाहते है। विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 18 मंगली से जिरह करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी न्यायिक आधार के जल्दबाजी में अस्वीकार कर दिया गया। जबकि प्रार्थी को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 18 मगली से जिरह की जानी अति आवश्यक है। क्योंकि मंगली द्वारा अपने जवाब दावे से पूर्णतया अलहदा तथ्य अपने साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित किये गये हैं, कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के तर्को व कानून को अनदेखी कर आदेश दिनांक 17.01.2020 पारित कर दिया जिसके बाबत प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि लम्बित है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियो में अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष लम्बित वाद को सुनवाई हेतु दीगर सक्षम न्यायालय मे हस्तान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण न्याय प्राप्ति से वंचित हो जायेगें और प्रार्थीगण के सम्पत्ति व विधिक अधिकारों पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पडेगा जो कि न्याय की मंशा नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जल्दबाजी में बिना सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण की सुनवाई की जा रही है जबकि यह सर्वविदित है कि कोरोना/कोविड–19 महामारी की वजह से विश्व व भारत भर में लाकडाउन किया जाकर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जनहित में यह सन्देश व आदेश प्रसारित किये जा रहे है कि बिना कार्य घर से नहीं निकले व सोसियल डिस्टेंसिंग अपनाने हेतु भी निर्देश दिये जा रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष लम्बित प्रकरणों में सामान्य दिनांक/जनरल तारीख प्रदान की जा रही है। जबकि इस प्रकरण हाजा में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पृथक से दिनांक दी जा रही है जिससे प्रार्थीगण को युक्ति युक्त आशंका है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को

जिला कलक्टर
जयपुर

नुकसान पहुंचाने की गरज से प्रकरण हाजा को विशेष प्राथमिकता दे कर कानून, नियम व प्राकृतिक न्याय के बेसिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर निस्तारित करना चाहते है व इसी उद्देश्य से प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियां उत्पन्न करने की गरज से भी मनमाने व कानून के विपरीत आदेश पारित किय जा रहे है। उपरोक्त गम्भीर व कानूनी आधारों पर प्रकरण को न्याय प्राप्ति हेतु व प्रकरण की निष्पक्ष सुनवाई व निस्तारण करने हेतु दीगर सक्षम न्यायालय मे हस्तान्तरित किया जाना अति आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 6, 9 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री हुकम चन्द पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया गया । प्रार्थी के अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण 114/2013 व टी आई संख्या 95/2013 ब उनवानी रामनारायण व अन्य बनाम जामन्या व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में मुन्तकिल किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 8.12.2020 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में उपस्थित हो।

6. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

24/11/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर